

पत्रांक 191 / 12-1 दिनांक, देहरादून 14 जुलाई 2020

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0,

पी0आई0यू0, दुगडा, पौड़ी गढवाल।

विषय:-

जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौडसाल-मालाकोटा से सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.821 हे० (earlier proposed 9.541 ha.) वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/201/2019/एफ०सी०/06 दिनांक 29.04.2020 एवं आपका पत्रांक 447/PMGSY/2020/52 दिनांक 17.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के पत्रांक 4343/12-1 दिनांक 11.05.2020 द्वारा निर्गत डिमान्ड नोट को आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

क्र० सं०	जिसमें धनराशि जमा की जानी है	क्षेत्रफल (हे० में)	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दर प्रति हे०	कुल धनराशि
शर्त संख्या - 3 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण				
1	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण	17.642 हे०	337184.00	5948600.00
शर्त संख्या - 5 एन०पी०वी०				
2	एन०पी०वी० वन भूमि (राजाजी टाइगर रिजर्व) (घनत्व 0.1)	8.821 हे०	438000.00 x 10	38635980.00
कुल योग				4,45,84,580.00

(रु० चार करोड पैतालीस लाख चौरासी हजार पांच सौ अस्सी मात्र)

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या ऑनलाईन अपलोड करते हुए 03 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

62

(डी०के० सिंह)

वन संरक्षक/निदेशक

राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक / तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, लेन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार को इस कार्यालय के उपरोक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में।

(डी०के० सिंह)

वन संरक्षक/निदेशक

राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।